HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2320/2026

Rakesh Kumar S/o Mukhram, Aged About 39 Years, R/o Vijaypura, Police Station Narayanpur, District Kotputli-Behror. (At Present In District Jail, Dausa).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajendra Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–कोतवाली जिला–दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 157/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 408 भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। वास्तव में उसका कार्य फील्ड से राशि एकत्रित कर परिवादी/ब्रांच मैनेजर को देना था। उसके द्वारा किसी भी प्रकार की किसी राशि का गबन नहीं किया गया है। परिवादी ने स्वयं ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आत्महत्या कर ली। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने माह जनवरी, 2024 में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, परन्तु परिवादी ने अप्रेल 2025 तक उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। प्रार्थी–अभियुक्त पर 1,53,290/–रूपये राशि का न्यासभंग किए जाने का अभियोग है। उसी के समान अन्य अभियुक्त लव कुमार पर भी

1,51,170/–रूपये राशि का न्यासभंग किए जाने का आक्षेप है, जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त व सहअभियुक्त लव कुमार एक ही प्रकार का कार्य करते थे तथा उसका मामला सहअभियुक्त लव कुमार से भिन्न नहीं है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 23.12.2025 से निरन्तर अभिरक्षा में है। मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का कार्य यह था कि वह सदस्य लोगों से राशि एकत्रित कर इस राशि को ब्रांच में जमा करवाता, परन्तु उसने एकत्रित की गई यह राशि ब्रांच में जमा नहीं करवाई और इसे अपने पास रखकर न्यासभंग किया है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। मामले में प्रार्थी–अभियुक्त पर 1,53,290/–रूपये राशि का न्यासभंग किए जाने का अभियोग लगाया गया है। इसी मामले में अन्य सह–अभियुक्त लव कुमार पर भी 1,51,170/–रूपये राशि का न्यासभंग किए जाने का आक्षेप है, जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त व सहअभियुक्त एक ही प्रकार का कार्य करते थे। उसका मामला अन्य सहअभियुक्त लव कुमार से भिन्न होना प्रकट नहीं हुआ है। मामले में आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 408 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 23.12.2025 से निरन्तर अभिरक्षा में है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना,

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /69